न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी – रविन्द्र कुमार आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 170/2019 **सन् 2019**

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
बंशीलाल पुत्र अमराराम जाति बावरी निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से स्वयं प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–   दिनांक 31.12.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत होने पर मिसल को ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण विश्लेषण एवं निष्कर्ष इस प्रकार है:– प्रार्थी बंशीलाल पुत्र अमराराम जाति बावरी निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की ओर से तहसीलदार बिलाड़ा को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें जाहिर किया कि ग्राम खारिया मीठापुर की ऑन लाईन जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 तक के खाता संख्या 1253 में उल्लेखित खसरा नम्बर 1440, 1442/2151 रकबा कमशः 1.019 हैक्टयर (यानि 6.06 बीघा) व 2.1358 हैक्टयर (यानि 13.04 बीघा) किस्म जमीन चाही प्रथम आयी हुई है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि पटवारी हल्का के पास राजस्व नक्शा लट्ठा में खसरा नम्बर 1440 व खसरा नम्बर 1442/2151 की आकृतियों के बीच एक रिक्त खसरा नम्बर की आकृति अंकित है जिसे सेग्रीगेशन (ऑन लाईन नक्शा) में खसरा नम्बर 1440 में उक्त रिक्त एरिया मिला दिया गया जबकि उक्त बिना नम्बर वाली भूमि खसरा नम्बर 1442/2151 का ही भाग है। उक्त चालू नक्शा लट्ठा में अंकित बिना नम्बर की आकृति को खसरा नम्बर 1442/2151 में मिला देने व ऑन लाईन (भू. नक्शा) नक्शा में गलत हटी 1440 की लाईन पुनः अंकित करवाने की शुद्वी करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा हल्का पटवारी व हल्का भू. अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट ली गयी। पटवारी व भू.अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार गत कम्पटराईज जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक तथा तहसील में उपलब्ध मिसल बन्दोबस्त के अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा स्थित खसरा नम्बर 1440 रकबा 6.06 बीघा व खसरा नम्बर 1442/2151 रकबा 13.04 बीघा किस्म चाही प्रथम बंशीलाल पुत्र अमराराम वगैरा कौम बावरी साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज था। वर्तमान नक्शा लट्ठा व सेटलमेन्ट सीट की प्रतिलिपि में खसरा नम्बर 1440 व 1442/2151 के बीच में बिना नम्बर की आकृति अंकित है। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत राजस्व नक्शा ट्रेस प्रमाणित प्रतिलिपि में मार्क A B C D E F G A से दर्शाया गया है। वर्तमान नक्शा लट्ठा में दर्ज खसरा नम्बर 1440 की चारो लाईनों से गिरी आकृति का रकबा बरारी करने पर रैकर्ड में अंकित रकबा 6.06 बीघा सही बनता है। जबकि खसरा नम्बर 1442/2151 की चारों सीमाओं से गिरी वर्तमान आकृति का रकबा बरारी करने पर रिर्कोर्डेड रकबा 13.04 बीघा पूरा नहीं होता है। रिक्त नम्बर की आकृति मार्क A B C D E F G A व खसरा नम्बर 1442/2151 की आकृतियों की रकबा बरारी करने पर दोनों आकृतियों को मिलाकर रकबा 13.04 बीघा सही बनता है।

वर्तमान जमाबन्दी (सेग्रीगेटेड) सम्वत् 2076 से 2079 तक के खाता संख्या 1253 में दर्ज खसरा नम्बर 1440 रकबा 1.0193 हैक्टयर (यानि 6.06 बीघा), खसरा नम्बर 1442/2151 रकबा 2.1358 हैक्टयर (यानि 13.04बीघा) सही दर्ज है। परन्तु ऑन लाईन नक्शा (भू.नक्शा) अनुसार खसरा नम्बर 1440 की सीमाओं में परिवर्तन होकर रिक्त नम्बर की आकृति भी खसरा नम्बर 1440 में सम्मिलित कर दी गयी है। उक्त नये ऑन लाईन नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 1440 का रकबा रिकार्ड (जमाबन्दी) से ज्यादा व खसरा नम्बर 1442/2151 का रकबा जमाबन्दी से कम हो गया है।

(रविन्द्र कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner

उपरोक्त स्थिति के अनुसार मौजा खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1440 रकबा 1.0193 हैक्टयर (यानि 6.06 बीघा), खसरा नम्बर 1442/2151 रकबा 2.1358 हैक्टयर (यानि 13.04बीघा) ऑन लाईन जमाबन्दी में सहीं अंकित है मगर नक्शा लट्टा व ऑन लाईन नक्शा में पूर्व में दर्ज सीमाओं को हटाते हुए इधर उधर कर दिया है। इसलिये उक्त नक्शा लट्ठा में बिना नम्बर की आकृति को खसरा नम्बर 1440/2151 में सम्मिलित करते हुए एवं खसरा नम्बर 1440 की लट्ठा अनुसार पूर्व की स्थिति बहाल की जानी उचित है जिससे राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा लट्ठा व ऑन लाईन नक्शा सही हो सकेगा तथा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा में निर्णित राजस्व वाद संख्या 20/2018 बंशीलाल बनाम प्रकाशराम वगैरा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय एवं डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद होना सम्भव होगा।

अतः प्रार्थी बंशी लाल पुत्र अमरा राम जाति बावरी निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 दिनांक 18–12–2019 को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1440 रकबा 1.0193 हैक्टयर (यानि 6.06 बीघा), खसरा नम्बर 1442/2151 रकबा 2.1358 हैक्टयर (यानि 13.04बीघा) के लट्ठा नक्शा में बिना नम्बर की आकृति को खसरा नम्बर 1442/2151 में, संलग्न नक्शा ट्रेस (अनुलग्नक – 01) में मार्क A से B लाईन को हटाते हुए सम्मिलित करते हुए लट्ठा ट्रेस को दुरूस्त करें एवं ऑन लाईन नक्शा में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न भू. नक्शा की प्रति (अनुलग्नक – 02) अनुसार इस अनुलग्नक में मार्क G से F तक लाईन नक्शा लट्ठा अनुसार पुनः दर्ज करते हुए तथा मार्क A से B तक की लाईन हटाते हुए खसरा नम्बर 1442/2151 एवं खसरा नम्बर 1440 की सीमा की दुरूस्ती की जावे।

पत्रावली फैशल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तामिल दफ्तर दाखिल हो।

(रविन्द्र कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे निर्देशन में कम्पयूटर से टंकित करवाया जाकर सरै इजलाश सुनाया गया।

(रविन्द्र कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

Scanned by CamScanner